

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 11.06.2026 को जल जीवन मिशन की टीम के साथ बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
2. श्री अमित कुमार सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, जालौन।
3. श्री सुनील कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-प्रथम, लो0नि0वि0, जालौन।
4. श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, जालौन।
5. श्री जीतेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जालौन।
6. श्री महेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, जालौन।
7. श्री मुकेश सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, जालौन।
8. श्री अश्वनी सिंह, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, शाखा-उरई, जालौन।
9. श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, जालौन।
10. श्री गगन दीक्षित, सहायक अभियन्ता, (वि0/याँ0), एस0डब्ल्यू0एस0एम0, जालौन।
11. श्री कृष्णा राजपूत, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0, जालौन।
12. श्री शिवम सोनी, जिला कोर्डिनेटर, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0, जालौन।
13. श्री के0वी0 सत्यनारायण, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
14. श्री श्याम नारायण दुबे, सोशल एक्सपर्ट, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
15. श्री आजाद चोपड़ा, डी0पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
16. श्री नागेश, डी0जी0एम0, जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0।
17. श्री रमाकान्त सिंह, मोहित पोलिटेक प्रा0लि0।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 32/ई0डी0/ 2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है :-

1-सला ग्राम समूह सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सम्मिलित 197 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु वर्तमान तक 41 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गई है तथा 39 ग्रामों में मात्र 50 प्रतिशत से कम घरों में जलापूर्ति की जा रही है। 31 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत घरों में, 21 ग्रामों में 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत घरों में तथा 65 ग्रामों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जलापूर्ति हेतु निर्धारित समय प्रातः 7:00 बजे जलापूर्ति नहीं की जा रही है। एजेन्सी का निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही जलापूर्ति किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 56 Sluice Valve Operator के सापेक्ष 33 की नियुक्ति की गई है, जिससे सभी ग्रामों में निर्धारित समय पर जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्त Sluice Valve Operator द्वारा निर्धारित समय पर जलापूर्ति नहीं की जा रही है।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 की सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत कुल 353 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 266 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं तथा 87 शिकायतें लम्बित हैं। Leakage rectification का कार्य 48 घण्टे में हो जाना चाहिए, परन्तु औसत 05 से 06


E.E.



दिन का समय लग रहा है। रात्रि में लीकेज मरम्मत कार्य हेतु मैनपावर एवं मशीनरी तैयार नहीं की गई है। लीकेज मरम्मत किए जाने हेतु जोनवार टीम उपलब्ध नहीं है, लीकेज होने पर अगले दिन टीम आती है, जिससे ससमय लीकेज मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। 200 mm से अधिक व्यास वाली पाइप लाइन में नियमित पैट्रोलिंग की आवश्यकता है ताकि लीकेज मरम्मत का कार्य त्वरित कराया जा सके और जलापूर्ति प्रभावित न हो। सला डब्ल्यू0टी0पी0 पर स्थित जल परीक्षण प्रयोगशाला में प्रत्येक ग्राम के वाटर सेम्पल टेस्ट किए जाने हैं। 09 ग्रामों में 840 मीटर सी0सी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य एवं 210 नग पिट/गड्ढे के रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। अधिक कनेक्शन वाले एवं महत्वपूर्ण ग्रामों (डकोर, धरगुवां, करमेर, ऐरी रमपुरा, ऐर, खरुसा, गढ़र) में शत प्रतिशत घरों में पेयजल आपूर्ति का कार्य नहीं किया जा रहा है। अनुबन्ध में दी गई शर्तानुसार एजेन्सी द्वारा WTP पर Control Room बनाया गया है, जिसमें 24x7 लीकेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है। एजेन्सी द्वारा Water Ambulance (01 vehicle, DG Set, Dewatering pump, Electro fusion machine with 01 fitter and 04 Labor) लगाई जानी है। सला डब्ल्यू0टी0पी0 के अन्तर्गत स्काडा को 56 ओ0एच0टी0 के सापेक्ष 2 ओ0एच0टी0 के इन्टीग्रेशन का कार्य शेष है। WTP पर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु **Skilled Engineer** की कमी है। सीडब्ल्यूआर एवं ओ0एच0टी0 के **Campus Development** का कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। (कार्यवाही अपेक्षित-डी0जी0एम0 मै0जी0वी0पी0आर0लि0, हैदराबाद)

एजेन्सी के डी0जी0एम0 श्री नागेश द्वारा अवगत कराया गया कि उरई से करमेर रोड पर करमेर, अजनारा, बरदर, रिरुआ, गोरा खुर्द, बम्होरीकलां ग्रामों में निर्माण खण्ड-प्रथम लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त की गई है, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पाइप लाइन मरम्मत किए जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरम्मत कार्य कराया जाना है। कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी मै0 बी0जी0सी0पी0 को अगले 07 दिन में मरम्मत कार्य कराते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराए जाने के निर्देश दिए गए। उरई से चुर्खी रोड पर आँता, लहूरा, अमगवां, गुढ़ाखुर्द, चौरसी, इंटरौरा, चकजगदेवपुर, ककहेरा, जगतपुरा, हजरतपुरा, बनफरा, अटरिया, जलालपुर चिरगोंव ग्रामों में निर्माण खण्ड-तृतीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त की गई है, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। एजेन्सी के प्रतिनिधि के द्वारा पाइप लाइन शिफ्टिंग के उपरान्त बिछाए जाने हेतु आर0ओ.डब्ल्यू0 उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं जल निगम के अभियन्ताओं को निरीक्षण कर 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ कराए जाने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही अपेक्षित-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-तृतीय लोक निर्माण विभाग, डी0जी0एम0 मै0जी0वी0पी0आर0लि0, हैदराबाद एवं अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

एट से कोटरा मार्ग पर चौड़ीकरण के कारण ग्राम कुरकुरु एवं करथरा में 02 कि0मी0 से अधिक एच0डी0पी0ई0 पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे जलापूर्ति बाधित है। अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को अगले सप्ताह में पाइप लाइन मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही अपेक्षित-अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग)

जिला पंचायत द्वारा नाला एवं सड़क निर्माण के दौरान ग्राम खैरी, सुनाया, मगरायां, नरी में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है, जिससे ग्राम खैरी, इमलौरी, सेता, सुनाया, मगरायां, नरी

अ.
ह.ह.

7

में पेयजल आपूर्ति बाधित है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को अगले सप्ताह में पाइप लाइन मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही अपेक्षित-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत)

विद्युत विभाग द्वारा पोल अधिष्ठापन के दौरान ग्राम फुलैला, कैथेरी से भुआ, लौना से कुअरपुरा एवं हिनौना में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है, जिससे ग्राम फुलैला, कैथेरी, भुआ, लौना, कुअरपुरा एवं हिनौना में पेयजल आपूर्ति बाधित है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय को अगले सप्ताह में पाइप लाइन मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही अपेक्षित-अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय)

ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण के दौरान ग्राम गोरा करनपुर में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है, जिससे ग्राम गोरा करनपुर एवं बस्ती में पेयजल आपूर्ति बाधित है। जिला पंचायत राज अधिकारी को अगले सप्ताह में पाइप लाइन मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। (कार्यवाही अपेक्षित-जिला पंचायत राज अधिकारी)

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा रात्रि में विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है तथा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, परन्तु रात्रि में माइनर फॉल्ट होने पर भी मरम्मत सुबह ही किया जाता है, जिससे प्रातः निर्धारित समय 07:00 बजे से जलापूर्ति नहीं हो पाती है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, जल निगम को बैठक में उपस्थित होने तथा योग्य एवं अनुभवी सहायक अभियन्ता को नोडल नामित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्वाध विद्युत आपूर्ति कराई जा सके।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी मै0 जी0वी0पी0आर0 द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा टुल्लू पम्प लगाये जाने के कारण ग्राम के ऊँचाई वाले भाग में पर्याप्त स्राव से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिनमें पेयजल आपूर्ति को रोकने एवं पेयजल का सदुपयोग करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा आईएसए के कार्मिकों को ग्रामों में उपस्थित होते हुए ग्रामीणों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित- डी0जी0एम0, जी0वी0पी0आर0/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/शोसल एक्स्पर्ट, पी0एम0सी0)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा ओ0एण्ड एम0 एजेन्सी मै0 एम0पी0पी0एल0 के माध्यम से 56 पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है, जिसमें ग्राम सूपा में नलकूप रीबोर कराए जाने की आवश्यकता है, परन्तु एजेन्सी द्वारा अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अगले 07 दिन में रीबोर कार्य कराते हुए सभी घरों में पेयजल आपूर्ति कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 56 पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 63 ग्रामों के सापेक्ष 34 ग्रामों में 90 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु 29 ग्राम पुरानी पेयजल योजनाओं से आक्षेपित होने के कारण जलापूर्ति का प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत है, जिसे अगले 15 दिनों शत प्रतिशत कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा अनुबन्ध संख्या 35/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे सतही स्रोत आधारित रायपुरा, मढ़ेपुरा, कोटा मुस्तकिल एवं 256 भूजल आधारित पेयजल योजनाओं प्रगति निम्नवत पाई गयी:-

2/22

18

1-रायपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

इन्टेकवेल में JJM Logo, EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फलोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। 17 OHT के सापेक्ष सभी में Down Pipe लगाये जाने का कार्य, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, water level indicator का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DI पाइप लाइन में 48 गैप है, जिससे सी0डब्ल्यू0आर0 एवं अवर जलाशय को Functional किये जाने का कार्य बाधित हो रहा है। 83 ग्राम के सापेक्ष मात्र 32 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है तथा मात्र 04 ग्राम में आंशिक जल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी है। कमिनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है।

2-कोटा मुस्तकिल सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

इन्टेकवेल में पैनल अधिष्ठापन, EOT Crane, SCADA का कार्य शेष है। EOT Crane एवं स्काडा की सामग्री वर्तमान तक कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी बी0जी0सी0सी0 द्वारा क्रय नहीं की गयी है। डब्ल्यू0टी0पी0 में प्लान्टेशन का कार्य तथा स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत 01 सी0डब्ल्यू0आर0 में पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने एवं केबल विछाये जाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी ओ0एच0टी0 के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 77 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, आवश्यक 22 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। DI पाइप लाइन में 88 गैप है। वर्तमान तक 77 ग्राम के सापेक्ष केवल 04 ग्राम में कमिनिंग की गयी है तथा कमिनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 40 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शत प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- मढ़ेपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना :-

इन्टेकवेल में EOT Crane, SCADA, JJM Logo एवं पेन्टिंग का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फलोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। सभी 12 ओ0एच0टी0 के Down Pipe, Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 69 ग्रामों में किसी भी ग्राम में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। आवश्यक 20 टीम के सापेक्ष मात्र 01 टीम कार्यरत है। DI पाइप लाइन में 65 गैप है। 69 ग्राम के सापेक्ष केवल 15 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है। कमिनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति

२६

10

प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं। किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

4- 256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना :-

256 नलकूप अधिष्ठापन के सापेक्ष 08 नलकूप खराब/अक्रियाशील हैं, जिससे जलापूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 256 नग नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 205 पम्प अधिष्ठापन का कार्य किया गया है, परन्तु स्टार्टर एवं पैनल अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है, जिससे ग्रामों को कमिशनिंग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 59 अवर जलाशय में स्टेजिंग तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। 255 OHT के सापेक्ष 06 ओ0एच0टी0में Raft Foundation हेतु पी0सी0सी0 का कार्य नहीं किया गया है। Raft Foundation हेतु पी0सी0सी0 का कार्य नहीं किया गया है। सभी ओएचटी में Stairs, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber बनाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है तथा ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु कोई भी टीम नहीं लगाई गई है। 256 पम्प हाउस के सापेक्ष 08 पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा दरवाजे, खिड़की, एप्रन, कट आउट, बाईपास चैम्बर निर्माण का कार्य एवं क्लोरीन डोजिंग सिस्टम, पैन्टिंग एवं वोल्टेज स्टेप लाईजर, गर्डर, पैनल लगाये जाने एवं अन्य वि0/यॉ0 कार्य पूर्ण नहीं हैं। 255 बाउन्ड्रीवॉल के सापेक्ष केवल 233 में ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण किया गया है परन्तु प्लास्टर एवं प्वांटिंग का कार्य पूर्ण नहीं है। 255 स्टॉफ क्वार्टर के सापेक्ष केवल 248 में Slab casting का कार्य किया गया है, परन्तु आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लम्बिंग का कार्य पूर्ण नहीं है।

433 ग्रामों में 350 ग्रामों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है आवश्यक 48 टीम के सापेक्ष मात्र 04 टीम कार्यरत है। कमिशनिंग, गैप क्लोजिंग एवं ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक 32 टीम के सापेक्ष मात्र 02 टीम ही कार्यरत हैं।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा पाइप लाइप बिछाए जाने हेतु 264 ग्रामों में सी0सी0 (सीमेन्ट कंक्रीट) रोड, इण्टरलॉकिंग रोड एवं खड़न्जा/बी0ओ0ई0 रोड तोड़ी गई थी, परन्तु 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी 179643 मीटर सी0सी0 (सीमेन्ट कंक्रीट) रोड, 19268 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड एवं 14650 मीटर खड़न्जा/बी0ओ0ई0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 402 ग्रामों में 40 से 50 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन शेष है तथा लीकेज/गृह संयोजन कार्य हेतु खोदे गए पिट/गड्ढे का कार्य शेष है। गत 02 माह में प्रगति नगण्य है, किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अतः एजेन्सी को 31 मई, 2026 तक सभी ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, अन्यथा की स्थिति में एजेन्सी के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया जाएगा।

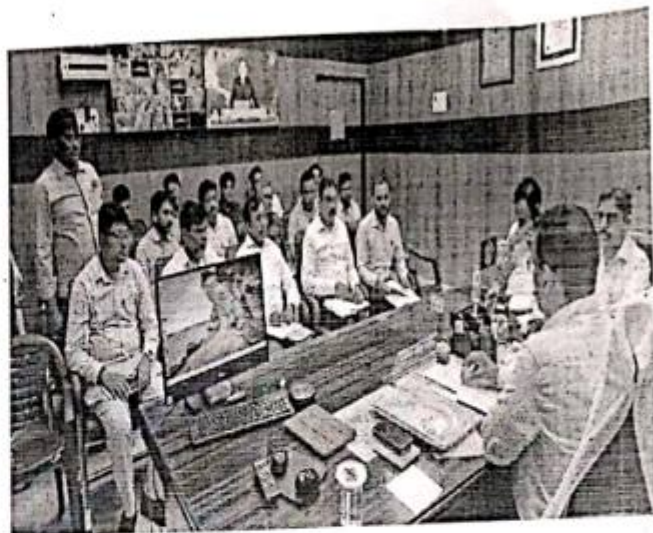
कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 व बी0जी0सी0सी0 के प्रतिनिधियों को सभी ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने, स्काडा अधिष्ठापन, शेष राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली की ज्वाइंटिंग, गृह जल संयोजन के कार्य एवं नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने के कार्यों तथा सभी ग्रामों को "हर घर जल" कराये जाने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये अनुबन्ध की शर्तानुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी0पी0आई0 एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया।

1

7

तत्पश्चात् बैठक समाप्त की गयी।



यह कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

अपर जिलाधिकारी,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
जनपद-जालौन

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक 1521 / M-18 / 11

दिनांक:- 15-06-2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यौ०), जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, निर्माण खण्ड-1, निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, जालौन।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, जालौन।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जालौन।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
11. मै० जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स, लि० हैदराबाद।
12. मै० बी०जी०सी०सी०, प्रा०लि०, नई दिल्ली।

Mang
15/06/2026

अपर जिलाधिकारी,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
जनपद-जालौन